छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार,दिनांक 25 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 6, 1942)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

(2) श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, सदस्य, जिला–गरियाबंद, विकासखण्ड देवभोग अंतर्गत ग्राम सुपेबेड़ा में जल आवर्धन योजना शुरू नहीं होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य, चिरमिरी के हल्दी बाड़ी, महुवा दफाई इलाके में एसईसीएल खदान की जमीन में निवासरत गरीब परिवारों को सुरक्षित व्यवस्थापन नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर श्री शैलेश पाण्डेय, सदस्य, द्वारा सोमवार, दिनांक 22 फरवरी,2021 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 24 फरवरी,2021